

फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण पर पड़ेगा दुष्प्रभाव, फसल अवशेष ना जलाने का ले संकल्प: जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह

जन एक्सप्रेस | लखीमपुर खीरी

फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की गोकथम के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने नित नए प्रयास करते हुए किसानों को जागरूक कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि कई किसान थाई जनकारी के अधाव में फसल अवशेष जलाने की परामिती, ग्राम की पसी अदि जला दे रहे हैं। इससे फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण पर दुष्प्रभाव पड़ते के साथ अच्युत कृष्ण प्रकार की हानियां हो रही हैं। डीएम ने किसानों से होने वाली हानि बताते हुए कहा कि आपके स्वयं की खेत की मिट्ठी का स्वास्थ खराब हो रहा है। मिट्ठी में रहने वाले कुछ परामिती के लिए उपचारों को अधिकारीयों कर्मचारियों भी शामिल हो रहे हैं।

बीएसए-डीआईओएस की अगुवाई में विद्यालयों में चल रहा जागरूकता अभियान जलाने से होने वाले प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में जनकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसे हेतु बीएसए, डीआईओएस की अगुवाई में प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर विद्यालय में छात्रों की समाएं आयोजित कर प्रतियोगिता कर छात्रों को प्रेरित किया जा रहा है। विद्यालय स्तर पर पर्यावरण/प्रतियोगिता में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तथा कृषि विभाग के अधिकारीयों के लिए उपचारों को अधिकारीयों कर्मचारियों भी शामिल हो रहे हैं।

डीएम ने फसल अवशेष जलाने से रोकने को बनाई नियतीय समितियां

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए जनपद, तहसील एवं विकास खण्ड टरंग पर सेल गारित है। प्रत्येक स्तर पर गारित समिति द्वारा उके लिए नियतीय कार्यों का कुरातापूर्वक नियापादन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि विसी भी दशा में पराली जलाने की घटना घटित न हो। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

कृषि विभाग से फी ग्राम करें डी कॉम्पोजर, फसल अवशेष का करें प्रबंधन, बनाएं खाद

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने किसानों से रोकने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यालय की स्थिति द्वारा डी-कॉम्पोजर नि-शुल्क किया जा रहा है, जिसका प्रयोग करके फसल अवशेष को जल्द से सड़ाक खाद बनायी जा सकती है। फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए विभिन्न कृषि यंत्र जैसे-मल्चर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्राउपर आदि उपलब्ध हैं। जो ग्राम पचायत, ग्राम समिति तथा पानीकृत किसान समितियों के पास उपलब्ध हैं जहाँ से किराये पर लेकर फसल अवशेष को मिट्ठी में मिल से कार्य आसानी से खाद बना सकते हैं।

पराली फसल अवशेष जलाना अपराधः डीएम

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अपनी ग्राम पचायत में जिन किसानों के द्वारा हार्डिटर/रीपर से फसल की कटाई की जा रही या ग्राम की पसी की अवशेष उपलब्ध है, उनको प्रेरित करके खेत में ही प्रबन्धन करायें। राष्ट्रीय हरित प्रबन्धन के निर्देशों के क्रम में पराली फसल अवशेष जलाना अपराध है। फसल अवशेष जलाने पर 0.2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये रु. 2500/- प्रति घटना, 0.2 एकड़ से 0.5 एकड़ के लिये रु. 5000/-प्रति घटना, 0.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिये रु. 15000/- प्रति घटना जुमाना किया जायेगा।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलोंतादन पूरी तरह लगाने के फसलों को उपलब्धन प्रभावित होता है।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों को बढ़ा भावना करते हैं।

सोलह कलाओं से परिपूर्ण लीलाघर
श्रीकृष्ण के अवतरण का उत्सव है

जन्माष्टमी

भगवान विष्णु के दसावतारों में परमावतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण जो चंगल, चपल, नट्यखट और सोलहकलाओं से संपन्न है, और गोपियों के संग रास रचाने के साथ ही अपने महान कूटनीति के लिए भी जाने जाते हैं मधुसूदन श्रीकृष्ण। एक तरफ अपनी मोहिनी सूरत और रूप सुंदरता के कारण मोहन कहे जाते हैं तो दूसरी ओर महामारत के युद्ध में अर्जुन को अपने विराटरूप का दर्शन करा के अपने अतुल्य बल को दर्शाते हैं भगवान कृष्ण। उसी श्री कृष्ण के धरतीलोक पर आने का महोत्सव है कृष्णजन्माष्टमी। श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव या ये कहें कि उनके जन्म की वर्षगांठ है जन्माष्टमी, जिसे पूरे भारतवर्ष के साथ विदेशों में भी बहुत भव्यतापूर्वक मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी हमें दुख में सुख की अनुभूति कराने वाला पर्व है, यह बात श्रीकृष्ण के जन्म के समय चरितार्थ होती है, कि एक तरफ कंथ के आततायी और क्रूरता से पीड़ित देवकी ने जब कृष्ण को जन्म दिया तो उन्हे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। और जब कृष्ण का गोकुल में प्रवेश हुआ तो पूरी धरती नंदलाल के जन्मोत्सव के आनंद में खोकर और लीलाधर की लीला में फँसकर, कंस के अत्याचारों और क्रूरता को भूल गए और उन्हें परमानंद की अनुभूति हुई। ये पर्व मानव जीवन को दुख और उदासी दूर कर उमंग, उत्साह और परम सुख और आनंद का अनुभव और दर्शन कराता है।

अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश
नंदलाल के जन्म का समय ही अति उत्तम और अद्भुत है, यह भाद्रपद मास ही भद्र अर्थात् कल्याण करने वाला है, कृष्णाप्त तो कृष्ण से ही संबंधित है, एष्टमी तिथि पक्षके वीचोवीच सार्ध -स्थलपर पड़ती है। रात्रि योगीजनों को प्रिय है। निसीथ यतियोका संधाकाल और रात्रि के दो भागों की सधि है। श्रीकृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है - अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म 'अजन्मा' का जन्म है। वह अजन्मा होकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, सर्वशक्तिमान होने पर भी कंस के कारागार में जन्म लेते हैं। भगवान् गर्भ में नहीं आये, वसुदेव और देवकी के मन में आये और अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर इहोने अपने माता-पिता को भी आश्वर्यचकित कर दिया। माता पिता हैं देवकी और वसुदेव; किन्तु नन्दबाबा और यशोदा द्वारा पालन किए जाते हैं। भगवान् के जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं। गीता (4 । १९) में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है—‘मेरा जन्म और कर्म दिव्य है—इस तत्त्व को जो जानता हैं, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मुझे प्राप्त होता है।’ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परम्परा की शुरुआत के विषय में जानते हैं, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान् श्रीकृष्ण से पूछा—‘हे अच्युत ! आप कृपा करके यह बतायें कि जन्माष्टमी (आपका जन्मदिन) महात्मव मनाने की परम्परा कब शुरू हुई और इसका पाठ्य क्या है ?’

हुई ओर इसका पुण्य क्या है ?'



सदियों में इंडिया से

बनी देश की ब्रांड वैल्यूः
शशि थरुर
इस पूरे विवाद पर कांग्रेस नेता
शशि थरुर का भी बयान आया
है। उन्होंने कहा कि वैसे तो
झिया को भारत बुलाने पर कोई
संवैधानिक आपत्ति नहीं है। यह
देश के दो नामों में से एक है। मैं
उम्मीद करता हूँ कि सरकार
इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि
झिया नाम को पूरी तरह से हटा
दे, जिसकी सदियों में बनी एक
ब्रांड वैल्यू है। हमें दोनों ही नामों
का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए
एक नाम जो पूरी दुनिया में
प्रतिकारी दर्शन करें।

इंडिया नाम को लेकर
दिली हाईकोर्ट में याचिका,
21 अक्टूबर को सुनवाई
दिली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (4
अगस्त) को विपक्षी गठबंधन
इंडियन नेशनल डेवलमेंट इंवेस्टिगेशन
अलायंस के नाम को लेकर कंद्र
सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी
पार्टियों से जबाव मांगा है। हाईकोर्ट
इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर
को करेगा। कोटि में गिरीशा भारद्वाज
ने गुरुवार (3 अगस्त) को याचिका
दायर की थी। उनका कहना था कि
विपक्षी गठबंधन का नाम बदल दिया
जाए। इससे पहले चिराग पासवान
भी गठबंधन के नाम को लेकर
आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा
था कि आप देश के नाम का
इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पूरी
तरह गलत है।

दरअसल, राहुल गांधी ने आर्टिकल 1 में लिखा एक वाक्य ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, इंडिया यानी भारत, राज्यों का एक संघ है। इसी आधार पर उन्होंने एक देश प्रक चनात के विनाप्र का भी घंटन किया। उन्होंने लिखा, प्राक तेषा प्राक चनात का विनाप्र भारतीय सभ सौ प्राक दम्यके गणीय ग्राम्यों पार दम्पत्ति है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-
370 हटाने के मामले में
सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने
सुरक्षित रखा फैसला
जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई टिल्ली

सुप्राप्त काट का सवाधान पाठ न
अनुच्छेद 370 को रद्द करने और
पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दे
केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के
फैसले को चुनौती देने वाली
याचिकाओं पर अपना फैसला
सुरक्षित रख लिया है। देश के मुख्य
न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस
संजय किशन कौल, संजीव खन्ना,
बीआर गवई और सूर्यकांत की पांचन्
न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16
दिनों तक दलीलें सुनने के बाद
फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने
सुनवाई के अंतिम दिन वरिष्ठ वकीलों
कपिल सिंगल, गोपाल सुब्रमण्यम
राजीव धर्मन, जफर शाह, दुष्प्रत्यन दवे
और अन्य की दलीलें सुनीं। शीघ्र
अदालत ने कहा कि यति
याचिकाकर्ता या उत्तरदाता की ओर से
पेश कोई वकील लिखित दलील
दर्खिल करना चाहता है, तो वह
आगले तीन दिनों में ऐसा कर सकता
है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि
लिखित दलील दो पेज से ज्यादा की
नहीं होनी चाहिए।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती

गहुल गांधी की संसद सदस्यता के बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अशोक पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत कानून के तहत कार्रवाई कर दी जापते हो तो वह तब तक अयोग्य ही रहेगा। जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत पर उसे आरोपों से बरी न कर दे। याचिका में मांग की गई कि कोर्ट को चुनाव आयोग को वायनाड सीट पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश देने चाहिए। मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में चाहते अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बड़ी राहत मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद सात अगस्त के लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी थी। मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। इस मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी माना और उन्हें दो साल की सजा सुनाई। दो साल की सजा मिलने के चलते जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधान के तहत राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी। जिसके बावजूद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर बहाल हो गई है।

जी-20: राशिभोज के न्योते में ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ का इस्तेमाल

कांग्रेस ने कहा, यह संघीय ढांचे पर हमला, राष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम 9 सितंबर को होना है

• 1 •

- दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायन्स ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे और क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे।
 - कांग्रेस नेता प्रमोट तिवारी ने कहा, पीएम मोदी ने 'मेक इन इंडिया' जैसे नाम दिए थे। स्टिकल इंडिया, खेलो इंडिया...वे (भाजपा) 'इंडिया' शब्द से डरते हैं, सविधान का अनुच्छेद 1 कहता है 'इंडिया, दैत इज भारत'...यह नाम (इंडिया) कैसे हटाया जा सकता है?
 - कनटिक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हमारे सविधान में साफ लिखा है कि ये 'कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया' है इंडिया शब्द से पूरी दुनिया पहचानती है। मुझे नहीं लगता कि इसे बदलने की आवश्यकता है।
 - पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सवाल किया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम बदला जा रहा। हम देश की भारत कहते हैं, इसमें नया क्या है? अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं... कुछ भी नया करने को नहीं है। दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है।
 - तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, अब बीजेपी 'इंडिया' को 'भारत' में बदलना चाहती है...बीजेपी ने बदलाव का बाद किया है लेकिन हमें 9 सालों के बाद केवल नाम बदला हुआ मिला है।
 - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, उहाँ हर चीज से समस्या है और मुझे नहीं है। मैं 'भारतवासी' हूँ, मेरे देश का नाम 'भारत' था और हमेशा 'भारत' ही रहेगा। अगर कांग्रेस को इससे दिक्षित है तो उन्हें इसका इलाज खुद ढूँढ़ना चाहिए।
 - बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चृग ने कहा, भारत कहने या लिखने में दिक्षित क्यों है? आप शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र को प्राचीन काल से ही भारत कहा जाता रहा है और इसका उल्लेख हमारे सविधान में भी किया गया है। वे बिना बजह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
 - पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, अब से टीम इंडिया नहीं टीम भारत कहिए। मैं जय शाह से अपील करता हूँ वर्ल्डकप में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में भारत नाम लिखा जाए।
 - बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने लिखा, भारत माता की जय।

ਸ਼ਾਮੀ, ਮੁਦਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਅਲਣ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਫਾਰਾ ਏਂਡ ਬੀ.ਐ. ਐਪ੍ਰੋਗਾਫਿਕਸ, ਏ-59, ਇੰਡ੍ਰਿਯਲ ਏਸਟੇਟ, ਤਾਲ ਕਟੋਈ, ਲਖਨਊ ਸੇ ਮੁਦਿਤ ਤਥਾ ਅਧ੍ਯੁਕ ਕੌਮਲੋਕਸ, 82/68, ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਹ ਮਾਰਗ, ਲਖਨਊ ਪਿੰਡ-226004, ਤੱਤੀਂ ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। ਸ਼ਾਮੀ, ਮੁਦਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਅਲਣ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, (ਫੋਨ ਨੰ.: 0522-4330955, ਫੋਲਾਂ ਨੰ.: 8933805555, (ਫੋਨ: ਸ਼ਾਮੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਾ ਫਾਰਾ ਐਂਡ ਬੀ.ਐ. ਐਪ੍ਰੋਗਾਫਿਕਸ ਵੇਤਾ।)